न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी, जोधपुर
पीठासीन अधिकारी श्री ओमप्रकाश विश्नोई, आर.ए.एस.

2025-695RAAJodhpur2025-303RTA223 Manoharlal Vs Ramesh Kumar

मनोहर लाल पुत्र उम्मेदराज, निवासी ग्राम अजीतगढ (सेखाला) तहसील बालेसर जिला जोधपुर।

अपीलाण्ट ...

ब
ना
म

रमेश कुमार पुत्र बल्लूराम, निवासी ग्राम चैराई तहसील ओसियां जिला जोधपुर।

रेस्पो. ...

अपील अन्तर्गत धारा 223 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 बरखिलाफ निर्णय एवं डिक्री दिनांक 13 अगस्त 2025 अधीनस्थ न्यायालय सहायक कलक्टर बालेसर राजस्व मूल वाद संख्या 39/2017 रमेश कुमार बनाम मनोहरलाल

उपस्थित–
श्री गुलाबसिंह चंपावत, अधिवक्ता–अपीलाण्ट
श्री श्रवण कुमार डउकिया, अधिवक्ता रेस्पोडेंट

नि र्ण य

दिनांक : 29 मई 2026

अपीलाण्ट ने अधीनस्थ न्यायालय सहायक कलक्टर बालेसर द्वारा राजस्व मूल वाद संख्या 39/2017 अनवान रमेश कुमान बनाम मनोहरलाल में पारित निर्णय एवं डिक्री दिनांक 13 अगस्त 2025 के खिलाफ आलौच्य अपील अदालत हाजा के समक्ष राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 की धारा 223 के तहत दिनांक 04 दिसंबर 2025 को प्रस्तुत की है।

अपीलांट की ओर से अपील कें साथ प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 05 म्याद अधिनियम प्रस्तुत कर अपील प्रस्तुत करने में हुए विलंब को क्षमा किये जाने का निवेदन किया।

प्रकरण का संक्षिप्त विवरण इस प्रकार है कि रेस्पोडेंट ने अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष वादग्रस्त भूमि ग्राम सेखाला अखेसागर तहसील सेखाला के खसरा नंबर 342 रकबा 149.18 बीघा, खसरा नंबर 341 रकबा 0.04 बीघा भूमि के संबंध में धारा 88 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 के तहत खातेदारी घोषणा का वाद पेश किया।

राजस्व अपील प्राधिकारी
जोधपुर

विचारण न्यायालय द्वारा अपीलाधीन निर्णय एवं डिक्री दिनांक 13 अगस्त 205 के जरिये वाद स्वीकार कर लिया गया, जिससे व्यथित होकर अपीलांट ने आलौच्य अपील प्रस्तुत की है।

बहस सुनी गई। अधिवक्ता–अपीलाण्ट्स ने अपनी बहस में तथ्यों को दोहराते हुए कथन किया कि वादग्रस्त आराजीयात के खातेदार पीराराम पुत्र उम्मेदाराम द्वारा अपीलाण्ट के पक्ष में दिनांक 30.11.1990 को वसीयत लिखी थी तथा खातेदार पीराराम की फौतेदगी पर उक्त वसीयत के आधार पर म्युटेशन संख्या 311 दिनांक 20/12/13 को स्वीकृत किया जाकर अपीलांट का नाम राजस्व रेकर्ड में दर्ज किया गया तथा जमाबंदी सम्वत् 2069 से 2072 के कॉलम नंबर 11 से 17 में म्युटेशन संख्या 311 की पालना अपीलांट मनोहरलाल के नाम का प्रथम इन्द्राज हुआ। यह उल्लेखनीय है कि नामांतरकरण संख्या 311 के विरूद्ध रेस्पोडेंट द्वारा न्यायालय डिवीजनल कमिश्नर जोधपुर के समक्ष अपील प्रस्तुत की गई जो माननीय न्यायालय द्वारा दिनांक 29 फरवरी 2016 को खारिज कर दी गई। कानूनन रेस्पोडेन्ट द्वारा अपीलाण्ट के पक्ष में निष्पादित वसीयत सिविल न्यायालय द्वारा निरस्त नही कि जाती है, तब तक अपीलाण्ट उक्त वसीयत के आधार पर खातेदार माना जाएगा तथा अपीलाण्ट के पक्ष में वसीयत होने के बाद रेवेन्यु रेकर्ड जमाबंदी में अपीलाण्ट के नाम खातेदारी दर्ज है तथा वसीयत के आधार पर स्वीकृत किये गये म्युटेशन की अपील भी राजस्व मण्डल में विचाराधीन है। यह उल्लेखनीय है कि अपीलाण्ट के पक्ष में निष्पादित वसीयत के आधार पर वसीयत कर्ता की मृत्यु होने पर उसके नाम बैंक में रूपये जमा थे, वो सारे रूपये अपीलाण्ट ने ही प्राप्त किये है तथा उक्त भूमि पर वसीयत के आधार पर खातेदार दर्ज होने पर भूमि पर ऋण लेने के सम्बन्ध में कोई एजराज नही किया है। वसीयत के आधार पर रेवेन्यु रेकर्ड जमाबन्दी में खातेदारी दर्ज करने का भी एतराज नही किया है तथा रेस्पोडेंट द्वारा अपने पक्ष में जो वसीयत नामा निष्पादित करना बताता है, उक्त वसीयत नामें को सिविल न्यायालय द्वारा कोई वैध घोषित नही किया गया है तथा रेस्पोडेन्ट के पक्ष में निष्पादित वसीयत नामें को किसी भी सिविल न्यायालय द्वारा निरस्त नही कराया है तथा राजस्व न्यायालय को वसीयत घोषित करने का कतई क्षेत्राधिकार नही है। विचारण न्यायालय ने वसीयत के आधार पर रेस्पोडेन्ट को खातेदार घोषित किया है जो बिना क्षेत्राधिकार का आदेश है, क्योकि वसीयत के सम्बन्ध में वैध या अवैध घोषित करने का एक मात्र अधिकार सिविल न्यायालय को ही है। विचारण

राजस्व अपील प्राधिकारी
जोधपुर

न्यायालय द्वारा रेस्पोडेन्ट का दावा अदम हाजरी अदम पैरवी में दिनांक 10/6/24 को खारिज हो चुका था। रेस्पोडेण्ट रमेश कुमार ने विचारण न्यायालय के समक्ष उक्त दावा पुनः रेस्टोर करने के लिए प्रार्थना पत्र पेश किया। विचारण न्यायालय द्वारा अपीलाण्ट को नोटिस जारी किये बिना ही रेस्टोर प्रार्थना पत्र पुनः दर्ज कर दिनांक 6/8/24 को ही दावा रेस्टोर कर दिया तथा अपीलांट पर सम्मनों की पुनः तामील करवाये बिना, दोनो पक्षकारो को सुनकर साक्ष्य सबूत लिये बिना ही एकपक्षीय रूप से वाद स्वीकार कर वादी/रेस्पोडंट को विवादित भूमि का खातेदार काश्तकार घोषित कर दिया। कानूनन वादी के दावे में तनकी कायम किये बिना तथा उन्हें साबित किये बिना अपीलाधीन निर्णय पारित नहीं किया जा सकता है। ऐसी स्थिति में अपीलाधीन निर्णय एवं डिक्री प्राकृतिक सिद्धान्तों व सिविल प्रक्रिया के सिद्धान्तो के विपरीत होने से अपास्त किये जाने योग्य है।

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 05 म्याद अधिनियम पर अपीलांट के अधिवक्ता ने निवेदन किया कि विचारण न्यायालय द्वारा अपीलाधीन निर्णय एवं डिक्री पारित करने से पूर्व अपीलाण्ट को कोई सुनवाई का मौका नही दिया तथा एक तरफा निर्णय पारित किये जाने से अपीलांट को अपीलाधीन निर्णय की समय पर जानकारी नहीं हो सकी। अपीलांट आवश्यक कार्य हेतु सक्षम न्यायालय बालेसर गया, तब रीडर ने बताया कि उप खण्ड अधिकारी, बालेसर द्वारा आपके विरूद्ध आदेश पारित कर दिया है तथा उसके बाद अपीलांट पटवारी के पास गया, तब हल्का पटवारी ने दिनांक 26/11/25 को बताया की उक्त विवादित भूमि के सम्बन्ध में अपीलाधीन निर्णय पारित हो चुका है। तब अपीलांट को दिनांक 26/11/25 को प्रथम ज्ञान हुआ तथा अपीलांट ने उसी दिन यानी दिनांक 27/11/25 को विचारण न्यायालय के निर्णय की प्रति प्राप्त करने के लिए प्रार्थना पत्र पेश किया तथा अपीलाधीन निर्णय की प्रति प्राप्त कर प्रथम ज्ञान से हस्तगत अपील अंदर म्याद प्रस्तुत की गई है।

अंत में अपीलांट के अधिवक्ता ने निवेदन है कि प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 05 म्याद अधिनियम अधिनियम स्वीकार फरमाया जावे एवं अपील अपीलांट्स अंदर म्याद शुमार की जाकर गुणावगुण पर स्वीकार फरमायी जावे एवं अधीनस्थ न्यायालय सहायक कलक्टर बालेसर द्वारा राजस्व मूल वाद संख्या 39/2017 अनवान रमेश कुमान बनाम मनोहरलाल में पारित निर्णय एवं डिक्री दिनांक 13 अगस्त 2025 को अपास्त किया जावे एवं अपीलांट के पक्ष में इन्द्राजों को यथावत रखा जावे। वकील अपीलांट द्वारा अपनीबहस के समर्थन

राजस्व अपील प्राधिकारी
जोधपुर

में 2025(1)आर.आर.टी. 314, 2010(1)आर.आर.टी. 310, आर.आर.डी. 1993 पेज 88, आर. आर.डी. 1992 पेज 360, 2009(2)आर.आर.टी. 816, 2011(1)आर.आर.टी. 581, 2024(1)आर. आर.टी. 432 की न्यायिक नजीरे पेश की।

जवाब में रेस्पोडेंट के अधिवक्ता ने अपनी बहस में कथन किया कि विचारण न्यायालय द्वारा अपीलांट पर सम्मनों की सम्यक तामील करवाये जाने के बावजूद भी वे विचारण न्यायालय के समक्ष उपस्थित नहीं हुआ। विचारण न्यायालय द्वारा रेस्पोडेंट की ओर से प्रस्तुत वसीयतनामा के आधार पर विधिसम्मत निर्णय एवं डिक्री पारित किये गये है। यह उल्लेखनीय है कि रेस्पोडेंट के पक्ष में निष्पादित वसीयतनामा पश्चातवर्ती है। इस कारण वादग्रस्त आराजीयात में वसीयत के आधार पर रेस्पोडेंट के अधिकार निहित हो गये है। न्यायालय डिवीजनल कमिश्नर जोधपुर द्वारा भी अपने निर्णय में सक्षम स्तर पर वाद प्रस्तुत करने के निर्देश दिये गये है। विचारण न्यायालय द्वारा उक्त सभी तथ्यों के परिप्रेक्ष्य में विधिसम्मत निर्णय एवं डिक्री पारित किये गये है। गुणावगुण पर अपीलाधीन निर्णय एवं डिक्री में किसी प्रकार की विधिक त्रुटि नहीं होने से प्रस्तुत अपील सारहीन एवं म्याद बाधित होने से खारिज फरमायी जावे।

बहस पर मनन किया गया एवं उपलब्ध अभिलेख का आद्योपान्त गम्भीरतापूर्वक अध्ययन किया गया। जहां तक अपीलांट द्वारा अपील प्रस्तुत करने में हुए विलंब का प्रश्न है, विचारण न्यायालय की पत्रावली के अवलोकन मुताबिक पत्रावली दिनांक 10.06.2024 को अदम हाजरी में खारिज होने के पश्चात वाद को पुनः नंबर पर लिये जाने हेतु प्रस्तुत रेस्टोरेशन प्रार्थना के नोटिस अपीलांट को दिये बिना तथा वाद को रेस्टोर करने के बाद पुनः सूचना बाबत अपीलांट को सम्मन जारी किये बिना तथा उसे सुनवाई का अवसर प्रदान किये बिना विचारण न्यायालय द्वारा अपीलाधीन निर्णय एवं डिक्री एकपक्षीय एवं प्राकृतिक न्याय के मूलभूत सिद्धांतों के विपरीत पारित किये जाने से अपीलांट को अपीलाधीन निर्णय एवं डिक्री की समय पर जानकारी नहीं होना लाजमी है। लिहाजा न्याय हित में प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 05 म्याद अधिनियम स्वीकार किया जाता है एवं अपील अपीलांट गुणावगुण पर निस्तारण हेतु अंदर म्याद शुमार की जाती है।

गुणावगुण पर पत्रावली पर उपलब्ध वसीयत दिनांक 30.01.1990 के मुताबिक खातेदार पीराराम पुत्र उदाराम द्वारा अपनी चल–अचल संपति, पेंशन, जीवन बीमा इत्यादि के संबंध में अपीलांट मनोहरलाल के पक्ष में वसीयतनामा निष्पादित किया जाना प्रकट

राजस्व अपील प्राधिकारी
जोधपुर

होता है। दिनांक 21.06.2012 को खातेदार पीराराम के फौत होने पर अपीलांट की ओर से वसीयत के आधार पर उपतहसीलदार बालेसर के समक्ष आवेदन प्रस्तुत किये जाने पर उप–तसीलदार बालेसर उक्त आवेदन दर्ज करते हुए मामले में आम सूचना जारी कर, सभी पक्षकारान् की साक्ष्य पूर्ण कर, मौके पर अपीलांट मनोहरलाल का कब्जा साबित होने पर उक्त वसीयत साबित होने पर उप–तहसीलदार बालेसर द्वारा वसीयत के आधार पर अपीलांट को खातेदार पीराराम का उतराधिकारी घोषित किया जाना प्रकट होता है। उप–तहसीलदार बालेसर द्वारा आम सूचना जारी किये जाने के बावजूद भी रेस्पोडेंट की ओर से किसी प्रकार की उजरदारी प्रस्तुत नहीं की गई है। यह उल्लेखनीय है कि प्रथम वसीयत पर खातेदार पीराराम के हस्ताक्षर मौजूद है, जबकि द्वितीय वसीयत जो रेस्पोडेंट के पक्ष में निष्पादित की गई है, उस पर खातेदार पीराराम के अंगुष्ठ निशान मौजूद है। उक्त वसीयत दिनांक 19.06.2012(अगुंष्ठ निशान पर दिनांक 20.06.2012) को खातेदार पीराराम द्वारा अपनी मृत्यु से एक दिन पूर्व ही निष्पादित किया गया है, जिसकी प्रमाणिकता भी प्रथमदृष्टया संदेहास्पद प्रतीत होती है। विचारण न्यायालय द्वारा वाद में प्रस्तुत गवाहन के ब्यान कलमबद्ध किये बिना तथा अपीलांट को अपना पक्ष रखने का अवसर प्रदान किये बिना ही अपीलाधीन निर्णय एवं डिक्री एकपक्षीय एवं विधिक प्रावधानों के विपरीत पारित किये जाने पाये जाते है। ऐसी स्थिति में अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित अपीलाधीन निर्णय एवं डिक्री विधिसम्मत नहीं पाये जाने से अदालत हाजा की राय में समर्थन योग्य नहीं ठहरते है।

उपरोक्त विवेचन एवं विश्लेषण के आधार पर अपील अपीलांट आंशिक रूप से स्वीकार की जाती है तथा अधीनस्थ न्यायालय सहायक कलक्टर बालेसर द्वारा राजस्व मूल वाद संख्या 39/2017 अनवान रमेश कुमान बनाम मनोहरलाल में पारित निर्णय एवं डिक्री दिनांक 13 अगस्त 2025 खारिज किये जाकर मामला विचारण न्यायालय को इस निर्देश के साथ प्रतिप्रेषित किया जाता है कि वह मामले में उभय पक्ष की सुनवाई उपरांत वाद में वाद विचारण की प्रक्रिया के तहत विधिनुसार मामले का पुनः निस्तारण करे।

निर्णय आज खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(ओमप्रकाश विश्नोई)
राजस्व अपील प्राधिकारी, जोधपुर।

राजस्व अपील प्राधिकारी
जोधपुर